विचारार्थ विषय

वित्त सहायक (एनएचएम-न)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की ओर से विशुद्ध रूप से अनुबंध आधार पर उपर्युक्त उल्लेखित पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

प्रभाग का नाम	**एनएचएम वित्त प्रभाग (वित्तीय प्रबंधन समूह)**
रिपोर्टिंग	**निदेशक/उप सचिव (एनएचएम-वित्त)ए अपर सचिव (एनएचएम वित्त) और वित्त नियंत्रक**
पद का नाम	**वित्त सहायक**
पदों की संख्या	**दो** (02)
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयए नई दिल्ली

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करने के लिए पूर्ण रूप से संविदात्मक आधार पर तकनीकी सहायता के रूप में जनशक्ति सहायता की आवश्यकता होती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एनएचएम वित्त प्रभाग के तहत कार्यरत वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के साथ आंतरिक लेखापरीक्षाए बाह्य लेखापरीक्षाए निधियों के संवितरण और कार्यक्रम के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की निगरानी सहित योजनाए बजटए लेखाए वित्तीय रिपोर्टिंगए आंतरिक लेखा परीक्षाए आंतरिक नियंत्रण में शामिल है। ठोस वित्तीय प्रबंधन निर्णय लेने और कार्यक्रम की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। सटीक और समय पर वित्तीय जानकारी कार्यक्रम के बारे में सूचित निर्णयों के लिए एक आधार प्रदान करती हैए निधियां जारी करती है और सुचारू कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विलंब को कम करने में सहायता करती है। एफएमजी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी कार्यक्रम सभी जीएफआर प्रावधानों और डीओई शर्तों का पालन करने के बाद समय पर अपनी निधि प्राप्त करें। एनएचएम के अंतर्गतए भारत सरकार का यह प्रयास है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई निधियों के प्रबंधन के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं का सृजन किया जाए। राज्यों को राज्य में वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) स्थापित करने और जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

2. उद्देश्य

केन्द्रीय स्तर पर वित्त सहायक एनएचएम के अंतर्गत निधियों की निगरानी करता है जिसमें डाटा एंट्रीए निधियां जारी करनाए व्ययए एफएमआरए एसएफपीए अव्ययित शेष राशिए सांविधिक लेखा परीक्षाए समवर्ती लेखापरीक्षाए ई-बैंकिंगए उपयोग प्रमाण पत्रए पीएफएमएसए वित्तीय समीक्षा दौरे करना और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई शामिल है।

3. कार्य क्षेत्र

प्रमुख जिम्मेदारियां:

पण समग्र आंकड़ों का समेकनए वित्तीय एमआईएस गतिविधि-वारए प्रभाग-वारए राज्य-वारए तिमाही और वर्ष-वार सृजन और आवंटनए निर्गत और व्यय के प्रतिशत के संदर्भ में तुलनात्मक विवरणों का सृजन।

पपण एनएचएम के अंतर्गत निर्गत हेतु मंजूरी आदेशों की वित्तीय वर्षवार गार्ड फाइलें तैयार करना और पीएओए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ यूसी का समग्र निपटान।

पपपण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरणए वेबसाइट उन्नयन और एनएचएम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीकृत निधियों के अंतरण हेतु डाटाबेस का रखरखाव।

अन्य जिम्मेदारियां

पण तिमाही एफएमआरए मासिक स्थिति रिपोर्टों के आंकडों की प्रविष्टि करना और सभी संबंधितों के आधिकारिक उपयोग के लिए आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम/घटक-वार डेटा बेस बनाए रखना।

पपण वर्ष 2005-06 के बाद से आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति का पता लगाना और पीएओ (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के साथ मिलकर उनके (प्रमाणपत्रों) के निपटान के लिए राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में सहायता करना।

पपपण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तिमाही एफएमआरए एसएफपीए सांविधिक लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों की प्राप्ति का पता लगानाए उनकी जांच करना और वित्त विश्लेषकोंए वित्त नियंत्रकों और प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फीडबैक प्रदान करना।

पअण निधियां जारी करनेए व्ययए अव्ययित शेष राशि की प्रक्रिया और निगरानी करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित मासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना।

अण सांविधिक लेखापरीक्षाए समवर्ती लेखापरीक्षाए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन की प्रगति के संबंध में एसएचएस/डीएचएस के साथ संपर्क बनाए रखना और एफएमजी और नियमित अधिकारियों को समय-समय पर फीडबैक प्रदान करना।

अपण विकास भागीदारों से पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए व्यय विवरण तैयार करना।

अपपण वित्तए लेखा और लेखापरीक्षा निष्पादन समीक्षा/अध्ययन करने और सुधार के लिए टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त दल का राज्यों/जिलों का दौरा करना।

अपपपण जेआरएमए सीआरएमए समीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षा टिप्पणियों से इनपुट के अनुसार और सामान्य रूप से व विशेष रूप से पीएफएमएस में राज्यए जिला और ब्लॉक स्तरों पर वित्त और लेखा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

पगण वित्त नियंत्रकोंए वित्त विश्लेषकों और एनएचएम वित्त प्रभाग और अन्य कार्यक्रम प्रभागों के नियमित अधिकारियों को उनके द्वारा आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना।

4. परिणाम

सभी कार्यों और जिम्मेदारियों की समय पर कार्रवाई करना और निदेशक / उप सचिव (एनएचएम-वित्त)ए यूएस (एनएचएम-वित्त)ए वित्त नियंत्रकों और वित्त विश्लेषकों को कार्य संबंधी सहायता प्रदान करना।

5. योग्यताए अनुभव और आयु

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.कॉम या बी०कॉम ;ऑनर्स) अथवा बी०कॉम।

सामाजिक और निजी क्षेत्र में वित्त और लेखा मामलों में कम से कम 3 साल का अनुभव।

आयु सीमा: आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

6. यात्रा और निर्वाह

सलाहकार को राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राओं को निदेशक / उप सचिव (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए। यात्रा करते समयए सलाहकार को एनएचएसआरसी या भारत सरकार के नियमों के अनुसार बोर्डिंग / लॉजिंग व्यय के लिए एक निश्चित प्रति व्यक्ति भत्ता प्राप्त होगा।

7. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

सलाहकार प्रत्येक तिमाही के अंत में संबंधित वित्त नियंत्रक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. परामर्श अवधि

संविदा शुरूआत में 31 मार्च 2024 तक की अवधि लिए होगी। पहले तीन महीने परीक्षण के आधार पर होंगे। संतोषजनक निष्पादन के संबंध मेंए परामर्श पूरे एक वर्ष तक जारी रहेगा और संविदा को पूरी तरह से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयए भारत सरकार के विवेक पर नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकिए परामर्श को लिखित में एक महीने का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

9. पारिश्रमिक

सलाहकार को योग्यता और अनुभव के आधार पर 40000 रुपये से 70000 रुपये प्रति माह की सीमा में समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

सलाहकार किसी भी अन्य लाभ जैसे सब्सिडीए मुआवजे या पेंशन का हकदार नहीं होगाए सिवाय इसके कि परामर्श समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। सलाहकार को कराधान से छूट नहीं दी जाएगी और वह किसी भी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगाए जिसे प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाया जा सकता है।

आवेदन करने के लिए:

उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट (http://nhsrcindia.org) पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 **मई** 2023 है।